



2026:AHC:126822

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 18276/2026

नितिन कुमार

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : आशीष पांडे

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

यह जमानत आवेदन संबंधित न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 43/2026 धारा 8/18/60 एनडीपीएस अधिनियम, थाना- रमाला, जिला- बागपत में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल बेगुनाह है और उसे किसी गलत मकसद से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा यह कहा गया है कि आवेदक का उन आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है जो उस पर लगाए गए हैं और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। इसके अलावा यह कहा गया है कि प्राथमिकी के अनुसार, एक गाड़ी की डिकी से 3.190 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है और आवेदक की भूमिका उस गाड़ी में पीछे बैठे होने की बताई गई है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के सचेत कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। यह भी तर्क दिया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-क के ज़रूरी नियमों का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि सैंपल एफएसएल रिपोर्ट के लिए दस दिन की देरी से भेजे गए थे; यह भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नियमावली का साफ उल्लंघन है। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक 18.03.2026 से जेल में बंद है और सह-आरोपी अरुण कुमार और हरजिंदर सिंह, जो कथित तौर पर उस कार में आवेदक के साथ मौजूद थे, उन्हें इस न्यायालय की संबंधित पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 18672/2026 (अरुण कुमार बनाम उ०प्र० राज्य) में 29.05.2026 को और आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 18381/2026 (हरजिंदर सिंह बनाम उ०प्र० राज्य) में 4.6.2026 को दिए गए आदेशों के तहत जमानत पर रिहा कर दिया है, और आवेदक का मामला भी उन्हीं जैसा है। यह भी निवेदन है कि आवेदक यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया।

अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस विचार का है कि आवेदक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक नितिन कुमार को उक्त मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो ज़मानती प्रस्तुत करे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो:-

- i. रिहाई के बाद, आवेदक संबंधित न्यायालय में लंबित मुकदमे में उपस्थित रहना और सहयोग करना जारी रखेगा।
- ii. वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- iii. वह ज़मानत की अवधि के दौरान किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि ज़मानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण को स्वीकार करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो अवर न्यायालय ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल ज़मानत आवेदन के निस्तारण के लिए प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और इन टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी।)

11 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"